रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2005/श्रावण 5, 1927
No. 331] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2005/SRAVANA 5, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2005

सं. 31/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 508(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 18 के अंतर्गत आने वाले "कोकोबीन, पूर्ण या भग्न कच्चा या भुना हुआ" और "कोको खोल, छिलका त्वचा और अन्य कोको अपशिष्ट" पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 के अधीन उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण (जिसके अंतर्गत उसका अनुद्ग्रहण भी है) के संबंध में एक प्रथा, जो साधारणतया प्रचलन में थी, के अनुसार 28 फरवरी, 2005 को और उससे प्रारंभ होने वाली तथा 1 मई, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था।

2. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि "कोकोबीन, पूर्ण या भग्न कच्चा या भुना हुआ" और "कोको खोल, छिलका त्वचा और अन्य कोको अपशिष्ट", पर उक्त उत्पाद शुल्क उक्त प्रथा के कारण संदाय नहीं किया गया था और ऐसे "कोकोबीन, पूर्ण या भग्न कच्चा या भुना हुआ" और "कोको खोल, छिलका त्वचा और अन्य कोको अपशिष्ट" की बाबत, जिस पर उक्त उत्पाद शुल्क उक्त प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था, संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

[फा. सं. 18/2/2005-के. उ. शु-I]

अशोक कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2005

No. 31/2005-CENTRAL EXCISE (N.T.)

G.S.R. 508(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under Section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the said Act), the duty of excise on "Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted" and "Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste", falling under Chapter 18 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) was not being levied during the period commencing on the 28th day of February, 2005 and ending with the 1st day of May, 2005.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11C of the said Act, the Central Government hereby directs that the duty of excise leviable under the said Act, on such "Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted" and "Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste" but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such "Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted" and "Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste" on which the said duty of excise was not being levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 18/2/2005-CX.I]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.